

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार-II
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
पाक्सो एक्ट, फतेहपुर।

सेवा में,

महानिबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा-

उचित माध्यम,
जनपद न्यायाधीश महोदय,
फतेहपुर।

विषय:-

पत्रांक संख्या-12837/IV-3887/Admin.(A) Dated:Sept.23rd, 2024 के अनुपालन में प्रार्थी की पूर्व में केन्द्र सरकार के अधीन की गई सेवा की अवधि को वर्तमान उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की सेवा अवधि में समायोजित किये जाने तथा प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में फ्रेश रिप्रेजेन्टेशन-

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि आपके पत्रांक संख्या-12837/IV-3887/Admin. (A) Dated:Sept. 23rd, 2024 के माध्यम से प्रार्थी को उपरोक्त विषयक के संदर्भ में फ्रेश रिप्रेजेन्टेशन हेतु निर्देशित किया गया है। महोदय, माननीय उत्तर प्रदेश, शासन के नियुक्ति अनुभाग-4, के पत्र संख्या-752/दो-4-09-32 (1)/2008, लखनऊ दिनांक 24-03-2009 के द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा-2006 में चयनित होने के उपरान्त माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या-2091-ए०आर० (एस०)/2009, दिनांकित 17-12-2009 के अनुपालन में प्रार्थी द्वारा जनपद न्यायालय, उन्नाव में दिनांक 22-12-2009 को पूर्वाहन में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का पदभार ग्रहण किया गया। इसके पूर्व प्रार्थी केन्द्र सरकार के अधीन भारतीय डाक विभाग प्रवर अधीक्षक, डाकघर चण्डीगढ मण्डल, चण्डीगढ में डाक सहायक के पद पर दिनांक 08-10-1997 से 21-12-2009 तक कार्य किया है।

माननीय महोदय जी विदित हो कि दिनांक 01-04-2005 के उपरान्त केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन सेवा में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य नहीं किया गया है, परन्तु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन सेवा में दिनांक 01-04-2005 से पूर्व जो भी अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत रहे हैं और सेवाकाल के दौरान उत्तर प्रदेश, सरकार के अधीन अन्य विभाग में चयनित होकर नियुक्त हुए हैं, को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में माननीय उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा अधिसूचना संख्या-सा-3-1118/दस-2011-301 (09)/2003 टी०सी०, वित्त(सामान्य) अनुभाग-3, लखनऊ, दिनांकित: 16-09-2011 निर्गत किया गया है, जिसके पैरा संख्या-03 (1) में यह निदेश हुआ है कि:-

2/01.10.24

केन्द्र सरकार अथवा ऐसी राज्य सरकारों जिनके कर्मचारियों की पेंशन हेतु अर्हकारी सेवाएँ, सेवानिवृत्तिक लाभों हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन की गयी अर्हकारी सेवाओं के साथ जोड़े जाने का पारस्परिक समझौता है, के ऐसे कर्मचारी जो केन्द्र सरकार/संबंधित राज्य सरकार के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित थे तथा उत्तर प्रदेश, सरकार के अधीन किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में दिनांक 01 अप्रैल, 2005 को अथवा उसके पश्चात नियुक्त होते हैं तो वह दिनांक 01.अप्रैल 2005 के पूर्व प्रभावी पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माने जायेंगे। केन्द्र सरकार की अनुदानित संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें केन्द्र सरकार की पुरानी पेंशन योजना के समान पेंशन योजना लागू रही हो, के कार्मिक जो राज्य सरकार के अधीन नियुक्त होते हैं, भी इस व्यवस्था से आच्छादित होंगे।

प्रार्थी ने उत्तर प्रदेश, न्यायिक सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व केन्द्र सरकार के अधीन भारतीय डाक विभाग में दिनांक 08-10-1997 से दिनांक 21-12-2009 तक लगभग 12 वर्ष (12 वर्ष 2 माह 13 दिन) प्रवर अधीक्षक, डाकघर चण्डीगढ़ मण्डल, चण्डीगढ़ में डाक सहायक के पद पर कार्य किया है। प्रार्थी की उपरोक्त सेवा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित है। माननीय उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-सा-3-1118/दस-2011-301 (09)/2003 टी०सी०, वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, लखनऊ, दिनांकित: 16-09-2011 के अनुसार प्रार्थी को वर्तमान न्यायिक सेवा में भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य है तथा केन्द्र सरकार के अधीन भारतीय डाक विभाग की सेवा अवधि उत्तर प्रदेश, न्यायिक सेवा की सेवा अवधि में समायोजित किये जाने योग्य है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी की दोनों सेवाओं एवं सुसंगत प्रपत्रों का विवरण (संलग्नक) निम्नवत हैं :-

1- माननीय उत्तर प्रदेश, शासन के नियुक्ति अनुभाग-4 के पत्र संख्या-752/दो-4-09-32 (1)/2008, लखनऊ: दिनांक 24-03-2009 के द्वारा प्रार्थी को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) में नियुक्त किया गया। (अनैक्चर संख्या-1/1 ता-1/3)

2- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अधिसूचना संख्या-2091-ए०आर०(एस०)/2009, दिनांकित 17-12-2009 के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार नियुक्ति अनुभाग पत्र संख्या-752/दो-4-09-32 (1)/2008, लखनऊ दिनांक 24-03-2009 के अनुक्रम में जनपद न्यायालय, उन्नाव में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर नियुक्त किया गया। (अनैक्चर संख्या-2/1 ता-2/3)

3- माननीय उच्च न्यायालय की अधिसूचना संख्या-2091-ए०आर० (एस०)/2009, दिनांकित 17-12-2009 के अनुपालन में प्रार्थी ने दिनांक 22-12-2009 को पूर्वाहन में जनपद न्यायालय, उन्नाव में अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र संलग्न है। (अनैक्चर संख्या-3/1 ता-3/2)

4- प्रार्थी पूर्व में केन्द्र सरकार के अधीन भारतीय डाक विभाग में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पंजाब सर्किल, चण्डीगढ़ के पत्र संख्या-आरईसीटीटी/3-5/94-II, दिनांकित 25-06-97 के आदेशानुपालन में प्रवर अधीक्षक डाकघर, चण्डीगढ़ मण्डल, चण्डीगढ़ के मीमो संख्या बी4/3/टीआरजी/(ए), दिनांकित चण्डीगढ़ 04-07-1997 के अनुक्रम में चयनित होकर डाक सहायक के पद पर नियुक्त हुआ। विभाग का आदेश संलग्न है। (अनैक्चर संख्या-4/1 ता-4/4)

5- प्रार्थी को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जू०डि०) परीक्षा-2006 में प्रतिभाग लेने हेतु विभाग द्वारा NOC निर्गत किया गया, जिसका प्रमाणपत्र संलग्न है। (अनैक्चर संख्या-5/1 ता-5/2)

6- प्रार्थी को प्रवर अधीक्षक डाकघर चण्डीगढ़ मण्डल, चण्डीगढ़ के मीमो नं०- बी-11/महेन्द्र कुमार, दिनांकित चण्डीगढ़, 21-12-2009 के अनुक्रम में दिनांक 21-12-2009 को अपराह्न में तकनीकी

2
01.10.24

त्याग-पत्र को स्वीकार करते हुये कार्यमुक्त किया गया। कार्यमुक्त आदेश की प्रति व चार्ज रिपोर्ट संलग्न है।
(अनैक्चर संख्या-6/1 ता-6/2)

7- प्रार्थी की केन्द्र सरकार के अधीन डाक,विभाग में पूर्व सेवा की जी०पी०एफ० बैलेन्स,स्लिप (GPF Account No- PKP-035501) संलग्न है। (अनैक्चर संख्या-7)

8- प्रार्थी द्वारा पूर्व में केन्द्र सरकार के अधीन भारतीय डाक विभाग में दिनांक 08-10-1997 से दिनांक 21-12-2009 तक लगभग 12 वर्ष (12 वर्ष 2 माह 13 दिन) प्रवर अधीक्षक,डाकघर चण्डीगढ मण्डल, चण्डीगढ में डाक सहायक के पद पर कार्य किया है। प्रार्थी की सेवा पुस्तिका की छायाप्रति संलग्न है।
(अनैक्चर संख्या-8/1 ता-8/33)

9- प्रवर अधीक्षक,डाकघर,चण्डीगढ मण्डल,चण्डीगढ द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र । (अनैक्चर संख्या-9/1 ता-9/2)

10- प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना की सामान्य भविष्यनिधि खाते का लाभ मिल रहा है, जिसका खाता संख्या एल जे यू-26894 है, जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न है। (अनैक्चर संख्या-10/1 ता-10/2)

11- माननीय उत्तर प्रदेश, शासन के अधिसूचना संख्या-सा-3-1118/दस-2011-301 (09)/2003 टी०सी०, वित्त(सामान्य) अनुभाग-3,लखनऊ,दिनांकित: 16-09-2011 के अनुक्रम में प्रार्थी को केन्द्र सरकार के अधीन की गई सेवा वर्तमान सेवा में समायोजित होने योग्य है एवं प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य है। उपरोक्त अधिसूचना संलग्न है। (अनैक्चर संख्या 11/1 ता-11/2)

अतः माननीय महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के इस प्रार्थनापत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये प्रार्थी की केन्द्रीय सरकार के अधीन की गई सेवा अवधि को प्रार्थी की वर्तमान उत्तर प्रदेश, न्यायिक सेवा की सेवा अवधि में समायोजित कर प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने की महती कृपा करें।

माननीय महोदयजी की अति कृपा होगी।


"सादर"।

दिनांक 01.10.2024

संलग्नक

यथोपरि।

भवदीय


(महेन्द्र कुमार-II) 01.10.2024


अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

पाक्सो एक्ट फतेहपुर।

आई०डी०यूपी 01849

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर
संख्या संख्या 2504/I दिनांक 01.10.2024

अग्रधारित


जनपद न्यायाधीश
फतेहपुर
01.10.2024